होम्योपैथी के केन्द्रीय-रजिस्टर में नामदर्ज व्यक्तियों के विशेषाधिकार ।

16. (1) मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों द्वारा होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसाय करने के संबंध में इस अधिनियम में की गई बातों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम होम्योपैथी के केन्द्रीय-रजिस्टर के भाग 1 में तत्समय है, अपनी अर्हताओं के अनुसार, भारत के किसी भी भाग में होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसाय करने का तथा ऐसे व्यवसाय को बाबत कोई व्यय, औषधियों या अन्य साधित्रों की बाबत कोई प्रभार या फीस, जिनका वह हकदार हो, विधि के सम्यक् अनुक्रम में वसूल करने का हकदार होगा ।

(2) धारा 15 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति जिसका नाम होम्योपैथी के केन्द्रीय-रजिस्टर के भाग 2 में तत्समय है, उस राज्य से, जिसके राज्य-रजिस्टर में वह नामदर्ज है, भिन्न किसी राज्य में, जिस राज्य में होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसाय करने का उसका आशय है उस राज्य की सरकार के पूर्व अनुमोदन से होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसाय कर सकता है ।